झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1070/2018– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **गढ़वा जिलान्तर्गत बांयी बांकी जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 24.80 करोड़ (रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा जिलान्तर्गत बांयी बांकी जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 24.80 करोड़ (रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बांयी बांकी जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 4.71 कि०मी० एवं बांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 7.44 कि०मी० है। दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 3.54 से मंगरदह वितरणी निकलती है, जिसकी लम्बाई 0.81 कि०मी० है।

4. इस कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें –

i) योजना के दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 4.71 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

ii) योजना के बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 7.449 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

iii) इसके मंगरदह वितरणी के कि०मी० 0.00 से 0.81 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

iv) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा– Outlets, CD, Falls एवं SLR Bridge का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

v) योजना के Dam के D/S का जीर्णोद्धार कार्य।

vi) योजना के Dam के D/S में drain का निर्माण कार्य।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1070/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **गढ़वा जिलान्तर्गत बांयी बांकी जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 24.80 करोड़ (रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा जिलान्तर्गत बांयी बांकी जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 24.80 करोड़ (रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बांयी बांकी जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 4.71 कि०मी० एवं बांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 7.44 कि०मी० है। दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 3.54 से मंगरदह वितरणी निकलती है, जिसकी लम्बाई 0.81 कि०मी० है।

4. इस कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें —

i) योजना के दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 4.71 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

ii) योजना के बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 7.449 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

iii) इसके मंगरदह वितरणी के कि०मी० 0.00 से 0.81 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

iv) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा— Outlets, CD, Falls एवं SLR Bridge का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

v) योजना के Dam के D/S का जीर्णोद्धार कार्य।

vi) योजना के Dam के D/S में drain का निर्माण कार्य।

कराये जाने वाले कार्य का अवयववार विवरण निम्नवत् है –

Sl.	Component	Particulars		Amount (Rs.)
	Head Works (Part-1)			
1		Restoration of Dam in D/S		22762447.80
2		Construction of Drain in D/S of Dam		3281470.85
	Canal Works (Part-II)			
1	Earth Work	Residual Earth work of Canal		39216764.83
2	Lining	Lining of Canal		138598231.85
3	Bridge	Construction of SLR Bridge	4 Nos.	9439999.80
4	Outlet	Construction of Outlet	16 Nos.	401084.96
5	Fall	Repair of Fall	10 Nos.	2715788.30
6	Maintenance	Repair and maintenance of existing outlets and cross drainage		685079.56
		Total		**217100867.95**
		Add GST – 12%		26052104.15
		Total		**243152972.10**
		Add :- Labour Cess 1%		2431529.72
		Add 0.5% Preliminary + Contingences 0.5%		2431529.72
		Grand Total		**248016031.54**
		Say		**248016000.00**

5. इस पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता 1200 हे० सिंचाई प्रदान किया जा सकेगा।

6. यह कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर दो वर्षों में वर्ष 2020–21 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

7. कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।

8. पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

9. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

10. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

11. इस योजना के कार्यों का कार्यान्वयन अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. कार्य के लिये राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1070/2018– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1070/2018– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1070/2018— 46/18-19 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)